

५५ बुधवार २१/१०/२०१८/०५५९

श्री मानू सरदेसाई महोदय राजस्व महसूल मंत्रालय, मुंबई

कोर्ट - सीवा (२००७) R-5247/16

125



जीताधर दिवेदी 50 रु० भुवनेश्वरधर दिवेदी नि० ब०

तह० - हनुमना, जिला - सीवा (२०१०) स्व० क्र०

निगा/क्रि० नं० १७१



बनाम

नगराजधर धर दिवेदी 50 गोकुलाधर दिवेदी नि० ब०

तह० - हनुमना, जिला - सीवा (२०१०)

निगा/क्रि० नं० १७१

अधिकांशी सुरेश लि०
तिवारी ठाटा देवा 28-2-18

सुरेश लि०
निवासी नं० १००
(कोर्ट कोर्टी रोड)

29/10/17
ASL

निगरानी विरुद्ध निर्णय न करी
केवल श्रावण सीवा संभाग - सीवा
कोर्ट के.पी.राठी, ए० नं० २० - १८५/क्रि०/२०११-१२
नि० दि० ०५-०५-२०१६.

आवेदन-पत्र मागत पुनर्स्थापित दिने
जाने प्रकृत।

मा-अवर

आवेदन-पत्र के आवाह विम्व हैं। -

1- यह दि उक्त प्रकरण दि 23-8-17 को दायरा तर्क हेतु
निमित्त थीं। आवेदक/निगाकर्ता के अधिकांशी मानूजी
के समक्ष तर्क हेतु उपस्थित हुये हैं, किन्तु केबिएट
कर्ता के अधिकांशी मनोज तिवारी जी, श्री मानूजी के
समक्ष उप० नही हुये थे, अर्थात् फोन द्वारा सूचना
देकर बुलवाया गया था, तब भी वे नही आये थे।
इस कारण दायरा तर्क नही हुका केवल प्रकृत।
आम के समक्ष पुनः रखा गया था, किन्तु आम को भी
केबिएट कर्ता उपस्थित नही हुये थे। इस कारण तर्क
नही हो सका था, किन्तु प्रकृत के अगले लिपि
निमित्त नही की गई थी, तथा श्री मानूजी उक्तीदिन
कापस उवा लिपि चले गये थे।

125

184

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-दो/पुनर्स्थापन/रीवा/2018/01479

गीताधर द्दिवेदी विरुद्ध नारायणधर द्दिवेदी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-19 रीवा 6/24	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह तिवारी उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य कोई ठोस आधार नहीं होने से यह प्रकरण अग्रहय किया जाता है।</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	